

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट उखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग।
फौवांसं 147/2022
राज्य बनाम श्रीमती रेखा जोशी

15.12.2022

पत्रावली तलब होकर पेश। पुकारा गया। पुकारने पर अभियुक्त श्रीमती रेखा जोशी मय जरिये विद्वान अधिवक्ता सुधीर कुमार शुक्ला जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वह स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मामले का निस्तारण चाहता है। स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को पुलिस अधिनियम की धारा 52(3)/83के तहत दोषसिद्ध करते हुए मु0 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

(रोहित कुमार पाण्डेय)

न्यायिक मजिस्ट्रेट
उखीमठ

बदहू:- अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड जमा किया गया। उसे रशीद दी गयी। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(रोहित कुमार पाण्डेय)

न्यायिक मजिस्ट्रेट
उखीमठ